CNRNo-UPJL010012192026
Bail Application No.-10 of 2026
UPJL010012192026

Presented on : 26-02-2026
Registered on : 26-02-2026
Decided on : 16-03-2026
Duration : 0 years, 0 months, 18 days

IN THE COURT OF
ADJ (FTC) (Crime against Women)
AT ,Jalaun
(Presided Over by Sri Bhartendra Singh)

Bail Application/2200010/2026

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–10/2026

मो0 दिलशाद पुत्र स्व0 अनवार, निवासी मुहल्ला म0नं0 103 कुम्हारों वाली गली, श्यामनगर उरई, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उ0प्र0।

.....विशेष लोक अभियोजक।

मु0अ0सं0–88/2026
अंतर्गत धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट
थाना–कोतवाली उरई, जिला जालौन।

दिनांकः 16.03.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त मो0 दिलशाद की ओर से मु0अ0सं0 88/2026, अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में जिला कारागार उरई में निरूद्ध है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है तथा मिथ्या रूपसे फंसाया गया है। गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवापही का आधार मात्र दो मुकदमे बनाये गये हैं, केवल दो मामलों के आधार पर अभियुक्त को संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य मानना विधि सम्मत नहीं है। गैंगस्टर अधिनियम लागू करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु समाज में भय या आतंक उत्पन्न करने की सत्त संगठित गतिविधि सिद्ध हो, लेकिन वर्तमान प्ररकण में उसके विरूद्ध ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त सहारा बस ट्रेवल्स उरई की शाखा का संचालक है तथा वह किसी भी गैंग का सक्रिय सदस्य नहीं है और न ही किसी गैंग से कोई सरोकार वास्ता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त स्थानीय निवासी है, उसके फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं, वह न्यायालय द्वारा लगायी जाने वाली प्रत्येक शर्त का पालन करेगा। तथा अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

Digitally signed by BHARTENDRA SINGH
Date: 2026.03.17 10:16:12 CAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (विशेष लोक अभियोजक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के तथ्यों के अनुरूप तर्क करते हुए कहा है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त पर गैंगस्टर का जो मुकदमा लगाया गया है, वह मुकदमा पुलिस द्वारा फर्जी लगाया गया है। गैंगचार्ट में वर्णित मुकदमों में अभियुक्त को फर्जी फंसाया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त को उचित जमानत पर रिहा किया जाए।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (विशेष लोक अभियोजक) की ओर से गैंगचार्ट, थाने की आख्या व अन्य सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्तुत करके जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि अभियुक्त तथा उसके गैंग के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत होने व गैंगचार्ट में अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 516/2025, धारा 115(2), 324(6), 191(2), 351(2), 308(2), 310(2), 317(3) भारतीय न्याय संहिता व 7 सीएल एक्ट, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन में पंजीकृत होने का अभिकथन किया गया है। अभियुक्त अपराधी किस्म का व्यक्ति है एवं इलाके में उसका और उसके गैंग का भय व आतंक व्याप्त है और वह अवैध धर्नाजन के लिए समाज विरोधी अपराध कारित करता है एवं गैंग का सक्रिय गैंगलीडर है। थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के मामले में नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त गम्भीर प्रकृति का अपराधी है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने पर पुनः अपराध कारित कर सकता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन से विदित होता है कि अपराध की प्रकृति, गिरोह के गठन एवं आपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले में जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में इस अधिनियम की धारा 19(4)(बी) में जमानत के संबंध में प्रावधान किया गया है तथा यह प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिये गये जमानत संबंधी प्रावधानों के अतिरिक्त है, इस धारा के तहत कोई व्यक्ति जमानत पर या तो स्वयं के बंधपत्र पर या प्रतिभू सहित जब तक रिहा नहीं किया जायेगा जब तक कि–

(क) लोक अभियोजक को इस तरह की रिहाई के लिए आवेदक को विरोध करने का अवसर दिया गया है और

(ख) जहॉ लोक अभियोजक विरोध करता है, और न्यायालय संतुष्ट है कि यह विश्वास करने का उचित आधार है कि वह इस तरह के अपराध करने का दोषी नहीं है, और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा वह भविष्य में भी कोई अपराध कारित नहीं करेगा। केवल उपरोक्त मामले में जमानत प्राप्त हो जाने से इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के आवश्यक बिन्दु संतुष्ट नहीं होते हैं।

अपराध की प्रकृति, गिरोह के गठन एवं आपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा इस स्तर पर प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मो0 दिलशाद की ओर से मु0अ0सं0 88/2026, अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं

समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 10/2026, उपरोक्तानुसार निरस्त किया जाता है।

अभियुक्त को आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए।

विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट),
जालौन स्थान उरई।
16.03.2026